

**राजस्थान विनियोग (सं. 4) विधेयक, 2018**  
(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2018–2019 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम.**— इस अधिनियम का नाम राजस्थान विनियोग (सं. 4) अधिनियम, 2018 है।
2. **वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए राज्य की समेकित निधि में से 53,14,26,68,000/- रु. का दिया जाना.**— अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018–2019 के दौरान, संदाय के अनुक्रम में आने वाले विभिन्न प्रभारों का चुकारा करने के लिए राज्य की समेकित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक और कुल मिलाकर मात्र **53,14,26,68,000/- रु.** (पांच हजार तीन सौ चौदह करोड़ छब्बीस लाख अड़सठ हजार रुपये) की राशियाँ संदत्त और उपयोजित की जा सकेंगी।
3. **विनियोजन.**— इस अधिनियम द्वारा राज्य की समेकित निधि में से संदत्त और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत की गयी राशियाँ उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जायेंगी।

(Authorised English Version)

**CONFIDENTIAL**  
**Bill No. 16 of 2018**

**THE RAJASTHAN APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 2018**  
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A  
Bill

*to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the services of the financial year 2018-2019.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. **Short title.**- This Act may be called the Rajasthan Appropriation (No. 4) Act, 2018.
2. **Issue of Rs. 53,14,26,68,000/- out of the Consolidated Fund of the State for the financial year 2018-2019.**- From and out of the Consolidated Fund of the State there may be paid and applied the sums not exceeding those specified in Column 2 of the Schedule and amounting in the aggregate to the sums of **Rs. 53,14,26,68,000/-** (Rupees Five thousand Three hundred Fourteen crore Twenty Six lakh Sixty Eight thousand) only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2018-2019 in respect of the services specified in Column 1 of the Schedule.
3. **Appropriation.**- The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

**अनुसूची**  
**THE SCHEDULE**

वर्ष 2018-2019 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगो की अनुसूची  
(प्रथम संकलन)

(SCHEDULE OF SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS AND  
APPROPRIATIONS FOR THE YEAR 2018-2019 )(First Batch)

सेवाएं और प्रयोजन Services and Purposes	(देखिये धारा 2 और 3) (See Section 2 and 3)		(रुपये सहस्र में ) (Rupees in thousand)		योग Total
	अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है Supplementary Appropriation not exceeding				
	दत्तमत Voted		प्रभृत Charged		
	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	
1			2		
<b>समेकित निधि</b> <b>Consolidated Funds</b>					
<b>(प्रभृत व्यय)</b> <b>Charged Expenditure</b>					
2049. ब्याज अदायगियां Interest Payments	..	..	20	..	20
योग (Total)	..	..	20	..	20
<b>अनुदानों के लिये मांगे</b> <b>Demands for Grants</b>					
<b>मांग संख्या - 6</b>					
<b>(न्याय प्रशासन )</b>					
2014. न्याय प्रशासन Administration of Justice	44,97,57	..	1,75,00	..	46,72,57
योग (Total)	44,97,57	..	1,75,00	..	46,72,57
<b>मांग संख्या - 12</b>					
<b>(अन्य कर )</b>					
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण Stamps and Registration	11,25,00	..	..	..	11,25,00
2041. वाहन कर Taxes on Vehicles	..	..	35,30	..	35,30
3055. सड़क परिवहन Road Transport	3,00,00,11	..	..	..	3,00,00,11
5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Road Transport	..	5	..	..	5

**अनुसूची**  
**THE SCHEDULE**

वर्ष 2018-2019 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगो की अनुसूची  
(प्रथम संकलन)

(SCHEDULE OF SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS AND  
APPROPRIATIONS FOR THE YEAR 2018-2019 )(First Batch)

सेवाएं और प्रयोजन Services and Purposes	(देखिये धारा 2 और 3) (See Section 2 and 3)		(रुपये सहस्र में ) (Rupees in thousand)		योग Total	
	अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है Supplementary Appropriation not exceeding					
	दत्तमत Voted		प्रभृत Charged			
	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	राजस्व Revenue	पूँजी Capital		
1	2					
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज Loans for Road Transport	..	20,00,00	..	..	20,00,00	
योग (Total)	3,11,25,11	20,00,05	35,30	..	3,31,60,46	
<b>मांग संख्या - 14</b>						
<b>(बिक्री कर)</b>						
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर Taxes on Sales, Trade etc.	18,13,06	..	..	..	18,13,06	
2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार Collection Charges Under State Goods and Service Tax	3	..	..	..	3	
योग (Total)	18,13,09	..	..	..	18,13,09	
<b>मांग संख्या - 16</b>						
<b>(पुलिस)</b>						
2055. पुलिस Police	31,23,96	..	5,14	..	31,29,10	
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Police	..	62,19,18	..	..	62,19,18	
योग (Total)	31,23,96	62,19,18	5,14	..	93,48,28	

**अनुसूची**  
**THE SCHEDULE**

वर्ष 2018-2019 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगो की अनुसूची  
(प्रथम संकलन)

(SCHEDULE OF SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS AND  
APPROPRIATIONS FOR THE YEAR 2018-2019 )(First Batch)

सेवाएं और प्रयोजन Services and Purposes	(देखिये धारा 2 और 3) (See Section 2 and 3)		(रुपये सहस्र में ) (Rupees in thousand)		योग Total	
	अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है Supplementary Appropriation not exceeding					
	दत्तमत Voted		प्रभृत्त Charged			
	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	राजस्व Revenue	पूँजी Capital		
1	2					
<b>मांग संख्या - 19</b>						
<b>(लोक निर्माण कार्य)</b>						
2059. लोक निर्माण कार्य Public Works	1	..	18,23	..	18,24	
योग (Total)	1	..	18,23	..	18,24	
<b>मांग संख्या - 21</b>						
<b>(सड़कें एवं पुल)</b>						
3054. सड़क तथा सेतु Roads and Bridges	40,54,50	..	58,60	..	41,13,10	
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय Capital Outlay on Roads and Bridges	..	3,09,10,00	..	..	3,09,10,00	
योग (Total)	40,54,50	3,09,10,00	58,60	..	3,50,23,10	
<b>मांग संख्या - 24</b>						
<b>(शिक्षा, कला एवं संस्कृति)</b>						
2202. सामान्य शिक्षा General Education	6	..	6,55,60	..	6,55,66	
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं Sports and Youth Services	2	..	..	..	2	

**अनुसूची**  
**THE SCHEDULE**

वर्ष 2018-2019 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगो की अनुसूची  
(प्रथम संकलन)

**(SCHEDULE OF SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS AND  
APPROPRIATIONS FOR THE YEAR 2018-2019 )(First Batch)**

सेवाएं और प्रयोजन Services and Purposes	(देखिये धारा 2 और 3) (See Section 2 and 3)				(रुपये सहस्र में ) (Rupees in thousand)
	अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है Supplementary Appropriation not exceeding				
	दत्तमत Voted	प्रभृत्त Charged		योग Total	
	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	
1	2				
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	..	1,00,72,00	..	..	1,00,72,00
योग (Total)	8	1,00,72,00	6,55,60	..	1,07,27,68
<b>मांग संख्या - 26</b>					
<b>(चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई)</b>					
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय Capital Outlay on Medical and Public Health	..	8	..	..	8
योग (Total)	..	8	..	..	8
<b>मांग संख्या - 27</b>					
<b>(पेय जल योजना)</b>					
2215. जल पूर्ति तथा सफाई Water Supply and Sanitation	1	..	84,90	..	84,91
4215. जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	..	2	..	..	2
योग (Total)	1	2	84,90	..	84,93

**अनुसूची**  
**THE SCHEDULE**

वर्ष 2018-2019 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगो की अनुसूची  
(प्रथम संकलन)

(SCHEDULE OF SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS AND  
APPROPRIATIONS FOR THE YEAR 2018-2019 )(First Batch)

सेवाएं और प्रयोजन Services and Purposes	(देखिये धारा 2 और 3) (See Section 2 and 3)		(रुपये सहस्र में ) (Rupees in thousand)		योग Total	
	अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है Supplementary Appropriation not exceeding					
	दत्तमत Voted		प्रभृत्त Charged			
	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	राजस्व Revenue	पूँजी Capital		
1	2					
<b>मांग संख्या - 29</b>						
<b>(नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास)</b>						
2217. शहरी विकास Urban Development	4,51,46,39	..	..	..	4,51,46,39	
3055. सड़क परिवहन Road Transport	16,35,51	..	..	..	16,35,51	
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज़ Loans for Urban Development	..	1	..	..	1	
योग (Total)	4,67,81,90	1	..	..	4,67,81,91	

**मांग संख्या - 30**

**(जनजाति क्षेत्रीय विकास)**

2202. सामान्य शिक्षा General Education	6	..	..	..	6
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण Social Security and Welfare	17	..	..	..	17
2401. फसल कृषि-कर्म Crop Husbandry	2	..	..	..	2
2403. पशु-पालन Animal Husbandry	11	..	..	..	11
2700. मुख्य सिंचाई Major Irrigation	..	..	9,50	..	9,50
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी Census Surveys and Statistics	2,36,80,00	..	..	..	2,36,80,00

**अनुसूची**  
**THE SCHEDULE**

**वर्ष 2018-2019 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगो की अनुसूची**  
**(प्रथम संकलन)**

**(SCHEDULE OF SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS AND APPROPRIATIONS FOR THE YEAR 2018-2019 )(First Batch)**

		(देखिये धारा 2 और 3) (See Section 2 and 3)		(रुपये सहस्र में ) (Rupees in thousand)	
		अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है Supplementary Appropriation not exceeding			
सेवाएं और प्रयोजन Services and Purposes	दत्तमत Voted		प्रभृत Charged		योग Total
	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	
1			2		
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	..	1	..	..	1
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Medical and Public Health	..	8	..	..	8
4215. जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	..	2	..	..	2
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Crop Husbandry	..	7	..	..	7
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Petroleum	..	1	..	..	1
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Other General Economic Services	..	50,00,00	..	..	50,00,00
<b>योग (Total)</b>	<b>2,36,80,36</b>	<b>50,00,19</b>	<b>9,50</b>	<b>..</b>	<b>2,86,90,05</b>

**मांग संख्या - 33**

**(सामाजिक सुरक्षा और कल्याण)**

2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	..	..	<b>4,65</b>	..	4,65
--	----	----	-------------	----	------

**अनुसूची**  
**THE SCHEDULE**

वर्ष 2018-2019 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगो की अनुसूची  
(प्रथम संकलन)

**(SCHEDULE OF SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS AND  
APPROPRIATIONS FOR THE YEAR 2018-2019 )(First Batch)**

		(देखिये धारा 2 और 3) (See Section 2 and 3)		(रुपये सहस्र में ) (Rupees in thousand)	
अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है Supplementary Appropriation not exceeding					
सेवाएं और प्रयोजन Services and Purposes	दत्तमत Voted		प्रभूत्त Charged		योग Total
	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	
	1		2		
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण Social Security and Welfare	18	..	4,22	..	4,40
योग (Total)	18	..	8,87	..	9,05
<b>मांग संख्या - 34</b>					
<b>(प्राकृतिक आपदाओं से राहत)</b>					
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत Relief on account of Natural Calamities	16,96,02,00	..	..	..	16,96,02,00
योग (Total)	16,96,02,00	..	..	..	16,96,02,00
<b>मांग संख्या - 35</b>					
<b>(विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं )</b>					
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी Census Surveys and Statistics	5,44,82,00	..	..	..	5,44,82,00
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय Capital Outlay on Other General Economic Services	..	43,44,02	..	..	43,44,02
योग (Total)	5,44,82,00	43,44,02	..	..	5,88,26,02
<b>मांग संख्या - 36</b>					
<b>(सहकारिता)</b>					
6425. सहकारिता के लिए कर्ज Loans for Co-operation	..	5,00,00,00	..	..	5,00,00,00
योग (Total)	..	5,00,00,00	..	..	5,00,00,00



**अनुसूची**  
**THE SCHEDULE**

वर्ष 2018-2019 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगो की अनुसूची  
(प्रथम संकलन)

**(SCHEDULE OF SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS AND  
APPROPRIATIONS FOR THE YEAR 2018-2019 )(First Batch)**

सेवाएं और प्रयोजन Services and Purposes	(देखिये धारा 2 और 3) (See Section 2 and 3)		(रुपये सहस्र में ) (Rupees in thousand)		योग Total	
	अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है Supplementary Appropriation not exceeding					
	दत्तमत Voted		प्रभृत्त Charged			
	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	राजस्व Revenue	पूँजी Capital		
1	2					
<b>मांग संख्या - 37</b>						
<b>(कृषि)</b>						
2401. फसल कृषि-कर्म Crop Husbandry	2	..	5,74,98	..	5,75,00	
6401. फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज Loans for Crop Husbandry	..	26,00,00	..	..	26,00,00	
योग (Total)	2	26,00,00	5,74,98	..	31,75,00	
<b>मांग संख्या - 39</b>						
<b>(पशुपालन एवं चिकित्सा)</b>						
2403. पशु-पालन Animal Husbandry	4	..	..	..	4	
4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Animal Husbandry	..	2	..	..	2	
4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Fisheries	..	2	..	..	2	
योग (Total)	4	4	..	..	8	
<b>मांग संख्या - 43</b>						
<b>(खनिज)</b>						
2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग Non ferrous Mining and Metallurgical Industries	..	..	10,52	..	10,52	
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Petroleum	..	1	..	..	1	
योग (Total)	..	1	10,52	..	10,53	

**अनुसूची**  
**THE SCHEDULE**

वर्ष 2018-2019 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगो की अनुसूची  
(प्रथम संकलन)

**(SCHEDULE OF SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS AND  
APPROPRIATIONS FOR THE YEAR 2018-2019 )(First Batch)**

सेवाएं और प्रयोजन Services and Purposes	(देखिये धारा 2 और 3) (See Section 2 and 3)		(रुपये सहस्र में ) (Rupees in thousand)		योग Total	
	अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है Supplementary Appropriation not exceeding					
	दत्तमत Voted		प्रभृत Charged			
	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	राजस्व Revenue	पूँजी Capital		
1	2					
<b>मांग संख्या - 46</b>						
<b>(सिंचाई)</b>						
2701. मध्यम सिंचाई Medium Irrigation	..	..	56,48	..	56,48	
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Major Irrigation	..	16	..	96,37	96,53	
योग (Total)	..	16	56,48	96,37	1,53,01	
<b>मांग संख्या - 50</b>						
<b>(ग्रामीण रोजगार)</b>						
2505. ग्राम रोजगार Rural Employment	4,43,29,93	..	..	..	4,43,29,93	
योग (Total)	4,43,29,93	..	..	..	4,43,29,93	
<b>मांग संख्या - 51</b>						
<b>(अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना)</b>						
2202. सामान्य शिक्षा General Education	6	..	..	..	6	
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण Social Security and Welfare	16	..	..	..	16	
2401. फसल कृषि-कर्म Crop Husbandry	2	..	..	..	2	
2403. पशु-पालन Animal Husbandry	11	..	..	..	11	
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी Census Surveys and Statistics	3,00,00,00	..	..	..	3,00,00,00	

**अनुसूची**  
**THE SCHEDULE**

**वर्ष 2018-2019 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगो की अनुसूची**  
**(प्रथम संकलन)**

**(SCHEDULE OF SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS AND APPROPRIATIONS FOR THE YEAR 2018-2019 )(First Batch)**

		(देखिये धारा 2 और 3) (See Section 2 and 3)		(रुपये सहस्र में ) (Rupees in thousand)	
अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है Supplementary Appropriation not exceeding					
सेवाएं और प्रयोजन Services and Purposes	दत्तमत Voted		प्रभृत Charged		योग Total
	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	
	1	2	3	4	
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	..	1	..	..	1
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Medical and Public Health	..	8	..	..	8
4215. जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	..	2	..	..	2
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Petroleum	..	1	..	..	1
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Other General Economic Services	..	50,00,00	..	..	50,00,00
<b>योग (Total)</b>	3,00,00,35	50,00,12	..	..	3,50,00,47
<b>योग-समेकित निधि(Total Consolidated Fund)</b>	<b>41,34,91,11</b>	<b>11,61,45,88</b>	<b>16,93,32</b>	<b>96,37</b>	<b>53,14,26,68</b>

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, इसके साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार, 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय की और विधान सभा द्वारा किये गये अनुदानों की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियों का, उक्त समेकित निधि में से विनियोजन किये जाने का उपबन्ध करने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में, पुरःस्थापित किया जाता है।

वसुन्धरा राजे,  
प्रभारी मंत्री।

### **STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Bill is introduced in pursuance of Article 204(1) of the Constitution of India read with Article 205 thereof to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants made by the Legislative Assembly for the financial year 2018-2019 ending on the 31st day of March, 2019 as per Schedule appended to the Bill.

वसुन्धरा राजे,  
**Minister Incharge.**

**संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन राज्यपाल महोदय की सिफारिश**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के प्रसंग में, मैं इसके द्वारा राजस्थान विनियोग (सं. 4) विधेयक, 2018 को राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत तथा प्रस्तावित किये जाने और उक्त विधान सभा द्वारा उस पर विचार किये जाने की सिफारिश करता हूँ।

राजस्थान विधान सभा  
RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

---

वित्तीय वर्ष 2018–2019 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

A  
Bill

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the services of the financial year 2018-2019.

---

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)  
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

---

दिनेश कुमार जैन,  
सचिव।

DINESH KUMAR JAIN,  
Secretary.

(वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री)  
(VASUNDHARA RAJE, Minister Incharge)